# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवड़ा आई.ए.एस**

प्रकरण संख्या 12/**2021** अपील (राजस्व)

श्री हिम्मतलाल पिता पन्नालाल जी ब्राहमण निवासी–वरडा, तहसील बड़गांव, जिला–उदयपुर

— **अपीलान्ट**

**बनाम**

सरकार जरिए तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

— **रेस्पोडेन्ट**

**अपील विरूद्ध आदेश तहसलीदार बड़गांव मुकदमा नंबर 04/2021 तारीख फैसल दिनांक 11.01.2021 अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956**

**उपस्थित :** श्री सम्पत लाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

**निर्णय**

**दिनांक:–** 10/01/22

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बड़गांव मुकदमा नंबर 04/2021 तारीख फैसल दिनांक 11.01.2021 अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 से नाराज होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का नोटिस दिनांक 10.01.2021 को प्राप्त हुआ तथा वह 11.01.2021 को पेशी पर उपस्थित हुआ। मेरे द्वारा न्यायालय से निवेदन किया गया कि मुझे कल ही नोटिस मिला है। मुझे जवाब देने, दस्तावेज पेश करने हेतु समय दिया जाए। समय नहीं दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2021 को ही आदेश पारित कर दिया गया। तहसीलदार बडगांव द्वारा [illegible] को कहा कि इन्हें आगे का समय दे देना। पेशकार द्वारा फाईल पर हस्ताक्षर [illegible] लिए और कहा की एक महीने बाद सभी दस्तावेज साथ लेकर आना। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 11.02.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेशी के संबध में पूछा तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 12/21 (अपील) राजस्व
हिम्मतलाल बनाम सरकार

ज्ञात हुआ कि तहसीलदार बडगांव द्वारा 11.01.2021 को ही फैसला कर दिया गया। तहसीलदार बडगांव भ्रमण पर होने से मैं उनसे नहीं मिल पाया जिस पर विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फैसले की प्रति दिनांक 12.02.2021 को प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया। जबकि यह जमीन पूर्व में ही नियमन कर आवंटन किए गए व्यक्तियों की लिस्ट बनी उसमें अपीलाण्ट का नाम भी था परन्तु उसका पट्टा अपीलाण्ट के नाम नहीं मिलने से यह कार्यवाही दुबारा की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने जानबुझकर किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा उक्त जमीन का आवंटन कराना चाहता है तथा वहां होटल लगाना चाहता है इस कारण इस जमीन से अपीलाण्ट को बेदखल किए जाने की कार्यवाही की जा रही है जबकि इस जमीन पर अपीलाण्ट का काफी पुराना कब्जा है। राज्य सरकार ने तो बिलानाम जमीन पर सन् 2004 तक के कब्जे को बहाल करने का व नियमन करने का आदेश दिया जा चुका है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित जमीन के संबंध में जवाब व शहादत नहीं लेकर सीधे ही बेदखली का आदेश पारित किया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरित होकर काबिल निरस्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट का वादग्रस्त जमीन पर कब्जा पुराना है नियमन किए जाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। [illegible] साक्ष्य सबूत का मौका भी नहीं दिया गया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ [illegible] दिनांक 10.01.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलाण्ट दिनांक 11.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। साक्ष्य सबूत जवाब प्रस्तुत करने हेतु [illegible] चाहा गया। परन्तु निर्णय दिनांक 11.01.2021 को ही पारित कर दिया गया। निर्णय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22

प्रति प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार के दिमाग का उपयोग नहीं किया गया है। मात्र छपे हुए परफोर्मा में नाम पते भरकर आदेश पारित कर दिया गया। वादग्रस्त जमीन पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा है जो पूर्व में नियमन कर दिया गया था। नियमन आवंटन लिस्ट में अपीलाण्ट का नाम है परन्तु अमल दरामद नहीं होने से जमीन बिलानाम ही रही है। पट्टा जारी होने एवं राशि जमा कराने के बाद धारा 91 की कार्यवाही नहीं हो सकती है। अपीलाण्ट द्वारा बहस के कथन में RLW 2008 RHC Page 670, RBJ 2016 Page 456, RRD 2002 Page 583 तथा RRD 2006 Page 278 की नजीरें प्रस्तुत की गई।

उपस्थित अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट को मौके से दिनांक 23.02.2021 को बेदखल कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील प्रभावहीन हो जाती है। अपीलाण्ट ने किसी सक्षम न्यायालय का आवंटन/नियमन का आदेश या डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई है। सूची मात्र एक प्रस्ताव है जो रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो बेदखली का आदेश पारित किया गया है वह विधिवत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

अपीलाण्ट की तरफ से जवाब में निवेदन किया कि उसे मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया एवं अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 295 रकबा 0.3400 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 296 रकबा 0.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम वरड़ा पर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार बड़गांव द्वारा बेदखली आदेश जारी करने के संबंध में है। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होने की ताईद में धारा 91 के नोटिस की [illegible] 1997, 1998, 1994, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, [illegible] 2014, 2015 एवं 2021 तथा संलग्न नोटिस में 2000 [illegible] 2001 में सूरज[illegible]हैयालाल का नाम दर्ज है। यानिकि प्रथम दृष्ट्या अवलोकन करने पर वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नियमित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में [illegible] कथन किए

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 12/21 (अपील) राजस्व
हिम्मतलाल बनाम सरकार

गए है कि यह भूमि अपीलाण्ट के नाम से पूर्व में नियमन हो चुकी है लिस्ट में अपीलाण्ट का नाम भी है परन्तु राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से भूमि बिलानाम ही रह गई। परन्तु नियमन संबंधी कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किए न्याय निर्णय नियमन के संबंध में है। इन न्याय निर्णयो में पट्टे के आधार पर प्रकरण साबित माना है। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार अपीलाण्ट को बेदखल मौके से किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली का पर्चा मौका पटवारी का दिनांक 23.02.2021 का लगा हुआ है।

बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन पर न्यायालय का विनम्र मत है कि अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिसे बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिनांक 23.02.2021 को बेदखल कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2021 विधिवत है उसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(चेतन देवड़ा)
**जिला कलक्टर,**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested